भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4545
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

4545. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देशभर में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पर्याप्त अवसंरचना समान रूप से उपलब्ध है, यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में परीक्षण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अवसंरचना की गुणवत्ता तथा निधियों के उपयोग का सत्यापन करने के लिए देशभर में कोई स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण किए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो उनके ब्यौरे तथा प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का जेजेएम परियोजनाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल निगरानी तथा शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस संबंध में किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या जमीनी स्तर के सत्यापन अध्ययनों से राज्यों में रिपोर्ट किए गए नल कनेक्शन कवरेज और वास्तविक जल आपूर्ति के बीच असमानताएं सामने आई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ इसका ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और
(ङ) क्या सरकार देशभर में जेजेएम के अंतर्गत दीर्घकालिक संचालन, अनुरक्षण तथा जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किसी संरचनात्मक नीतिगत सुधार पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों हेतु निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया

जा सके। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

जेजेएम के तहत, जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, नमूना संग्रह आदि सहित पेयजल के लिए जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे लिंक https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report पर देखा जा सकता है।

जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, 18.03.2026 तक, राज्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तरों पर 2,874 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क संचालित करते हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता का प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

भारत सरकार ने डीओपीटी द्वारा नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ), राष्ट्रीय जेजेएम टीम और राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम योजनाओं की जमीनी वास्तविकता पता लगाया है। इन दौरों में कार्यों की गुणवत्ता, योजनाओं की कार्यशीलता, तकनीकी डिजाइन की उपयुक्तता, कार्यान्वयन प्रगति, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की प्रभावशीलता और शिकायत निवारण तंत्र सहित कई मापदंडों का आकलन किया गया। निष्कर्षों के अनुसरण में, इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

सलाह दी है कि वे जहां भी आवश्यक हो, समुचित प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई करें और जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से योजना-वार विस्तृत प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करें।

जल जीवन मिशन के तहत सूचित की गई नल कनेक्शन कवरेज और सेवा प्रदायगी का जमीनी स्तर पर सत्यापन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधि नमूने का उपयोग करके तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से किए गए पारवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के आवधिक कार्यशीलता मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन में पारिवारिक सर्वेक्षण, ग्राम-स्तरीय सत्यापन, जल की मात्रा और गुणवत्ता परीक्षण तथा जेजेएम-आईएमआईएस डेटा के साथ सत्यापन शामिल है।

हर घर जल की सूचना वाले गांवों के 761 जिलों को कवर करते हुए 19,812 एचजीजे में कार्यशीलता मूल्यांकन - 2024 आयोजित किया गया, जिससे पता चलता है कि 98.1% संसूचित परिवारों के पास नल कनेक्शन थे और इस 98.1% परिवारों में से 87% परिवारों के पास कार्यरत नल कनेक्शन थे। सुधारात्मक उपाय करने और कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यशीलता मूल्यांकन के परिणामों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

विभाग ने 30 दिसंबर 2025 को जेजेएम पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाले डिजिटल पेयजल सेवा कार्यशीलता मूल्यांकन उपकरण "जल सेवा आकलन" का शुभारंभ किया। यह पहल बुनियादी ढांचे के निर्माण से **निरंतर सेवा प्रदायगी** की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, और ग्राम पंचायतों और ग्राम संस्थाओं को हर घर जल (एचजीजे) गांवों में पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता तथा स्थिरता का आकलन करने के केंद्र में रखती है। इस पहल के तहत, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) ग्राम-स्तरीय मूल्यांकन करती है। ग्राम सभा की प्रस्तुति के बाद, पंचायत सचिव डिजिटल रूप से 'हर घर जल' गांवों के लिए जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड पर डेटा प्रस्तुत करते हैं। जिला और राज्य के अधिकारी तब सेवा अंतराल की पहचान करने और स्थायी जल प्रबंधन के लिए प्रभावी सुधार योजना तैयार करने के लिए इस जानकारी की समीक्षा करते हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के तहत शिकायतों/सवालों आदि को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर देखा और निपटाया जाता है। इस विभाग में जब कभी ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्रामस) पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को अग्रेषित किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम 2.0 के पुनर्गठन और बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा प्रदायगी की ओर पुनर्निर्देशित करने को मंजूरी दे दी है, जो स्थायी ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति के लिए पेयजल अभिशासन और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। इस उद्देश्य के लिए, "सुजलाम भारत" नामक एकरूप राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण गांव को स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल रूप से मानचित्रण करने के लिए एक अद्वितीय सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी सौंपी जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए "जल अर्पण" के माध्यम से योजनाओं को चालू करने और औपचारिक रूप से सौंपने में ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। ग्राम पंचायत कार्यों के पूरा होने को प्रमाणित करेगी और राज्य सरकार द्वारा गांव में संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि होने पर ही स्वयं को "हर घर जल" घोषित करेगी। यह स्वीकार करते हुए कि प्रचालन दक्षता और स्रोत स्थिरता के लिए सामुदायिक स्वामित्व तथा भागीदारी महत्वपूर्ण है, कार्यक्रम के तहत "जल उत्सव" को एक वार्षिक, समुदाय के नेतृत्व वाले रखरखाव और समीक्षा कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पेयजल की दृष्टि से सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को सुदृढ़ बनाते हुए स्थानीय सांस्कृतिक लोकाचार को एकीकृत करता है।

इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को "विभाग आधारित दृष्टिकोण" से "सेवा प्रदायगी दृष्टिकोण" में परिवर्तित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ समय-सीमा का अनुपालन करने, योजना की स्थिरता तथा नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की व्यापक बहु-स्तरीय तथा बहु-प्रारूप वाली प्रणाली विकसित की है, जिसमें लक्षित प्रदायगी और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए, विधिक प्रावधानों के अध्यधीन, परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ा जाता है और इसमें सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण, पायलट आधार पर सेंसर-आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति का माप और निगरानी आदि शामिल है। इसके अलावा, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, जेजेएम के तहत हाल ही में उठाये गए कदमों में ग्राम/जिला डैशबोर्ड और ग्राम स्तर के डैशबोर्ड को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से जोड़ना, जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद, आईएमआईएस मॉड्यूल के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) की भूमिका का संस्थागतकरण, टीपीआईए की भूमिका, संबंधित

मंत्रालयों के साथ सहयोग को दृढ़ करना, स्रोत स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, सामुदायिक प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों पर पुस्तिका, एकीकृत पाइपगत जल प्रणाली के लिए विशिष्ट आईडी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि उन्होंने जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेयजल गुणवत्ता और निगरानी के लिए राज्यों/यूएलबी द्वारा संदर्भ के लिए मार्च 2024 में जल आपूर्ति और शोधन प्रणालियों (नल से पेय) पर मैनुअल प्रकाशित किया है। (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supplyandtreatment-systems-drink-from-tap-march-2024.php)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर 2024 में अमृत 2.0 के तहत सभी राज्यों को राज्य या शहर स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी कार्यनीति तैयार करने और सार्वजनिक सूचना तथा जागरूकता के लिए जल गुणवत्ता मापदंडों हेतु डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने हेतु एक परामर्शी-पत्र "शहरों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी का सुदृढ़ीकरण" जारी किया है।

यूएलबी/पैरास्टेटल लागू होने वाले मानदंडों के अनुसार जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) और पारिवारिक स्तरों पर जल परीक्षण करते हैं।

शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अमृत/अमृत 2.0 जल आपूर्ति नेटवर्क की बहाली और उन्नयन तथा जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) के निर्माण/संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत, कुल 93,457.51 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है/बदला गया है। अमृत के तहत, अब तक 6140 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) डब्ल्यूटीपी क्षमता को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5,429 एमएलडी डब्ल्यूटीपी क्षमता का सृजन किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 11,395 एमएलडी डब्ल्यूटीपी क्षमता को मंजूरी दी जा चुकी है। ये शोधन संयंत्र आम तौर पर इन-हाउस लैब सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं या नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के साथ सहबद्धता करते हैं।

इसके अलावा, अमृत 2.0 मिशन सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ 24x7 जल आपूर्ति, चयनित जिला मीटर वाले क्षेत्रों (डीएमए)/वार्डों में नल से पेय (डीएफटी) गुणवत्ता वाले पानी, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, सेंसर और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), जल गुणवत्ता परीक्षण में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देता है। 258 जल आपूर्ति योजनाओं में अमृत के तहत एससीएडीए प्रणाली जैसी

स्मार्ट निगरानी प्रणाली है और अमृत 2.0 के तहत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है।

सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए, राज्यों ने डीएफटी परियोजनाएं शुरू की हैं और राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर डीएमए या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत 348 यूएलबी में 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली 1,153 डीएमए की 407 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अनुबंध

श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा पूछे गए 19.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4545 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

18.03.2026 तक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या	जिला/क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं की संख्या	ब्लॉक/उप-मंडल स्तर की प्रयोगशालाओं की संख्या	मोबाइल स्तर की प्रयोगशालाओं की संख्या	डब्ल्यूटीपी सुविधाओं की संख्या	कुल प्रयोगशालाएं
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	7	-	-	11
2.	आंध्र प्रदेश	1	26	85	-	26	138
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20	17	-	-	38
4.	असम	1	34	46	2	3	86
5.	बिहार	1	38	75	9	-	123
6.	छत्तीसगढ़	1	29	29	18	1	78
7.	दमण व दीव तथा दादर व नगर हवेली	-	2	-	-	-	2
8.	गोवा	1	2	13	-	8	24
9.	गुजरात	1	33	46	-	329	409
10.	हरियाणा	1	21	21	1	-	44
11.	हिमाचल प्रदेश	1	14	57	5	8	85
12.	जम्मू और कश्मीर	2	20	76	-	-	98
13.	झारखंड	1	24	6	-	8	39
14.	कर्नाटक	5	32	48	-	22	107
15.	केरल	4	14	72	-	7	97
16.	लद्दाख	1	2	6	-	-	9
17.	लक्षद्वीप	-	-	9	-	-	9
18.	मध्य प्रदेश	1	51	103	-	32	187
19.	महाराष्ट्र	-	34	144	-	52	230
20.	मणिपुर	1	12	-	-	1	14
21.	मेघालय	1	11	18	-	35	65
22.	मिजोरम	1	11	15	-	1	28
23.	नागालैंड	1	11	-	-	-	12
24.	ओडिशा	1	30	46	-	83	160
25.	पुडुचेरी	-	2	-	-	-	2
26.	पंजाब	1	23	7	2	-	33
27.	राजस्थान	2	32	-	20	26	80
28.	सिक्किम	1	1	-	-	-	2
29.	तमिलनाडु	1	37	75	-	-	113
30.	तेलंगाना	1	34	41	-	40	116
31.	त्रिपुरा	1	8	12	-	-	21
32.	उत्तर प्रदेश	1	75	60	5	4	145
33.	उत्तराखंड	1	13	13	-	1	28
34.	पश्चिम बंगाल	2	23	207	7	2	241
कुल		**40**	**722**	**1,354**	**69**	**689**	**2,874**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस